भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1833

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल की कमी वाले गांव

1833. डॉ. अमर सिंह:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब और हरियाणा में जल की कमी वाले गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अति-सिंचाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों का उपयोग करने वाले किसानों को दंडित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) संबंधित राज्यों के साथ केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए भारत के डायनमिक भूमि जल संसाधन आकलन, 2017 के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में क्रमश: 111 (109 अतिदोहित तथा 2 क्रिटिकल) तथा 81 (78 अतिदोहित तथा 3 क्रिटिकल) के जल की कमी वाले ब्लॉक हैं।

(ख) और (ग) जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक सिंचाई को कम करने हेतु भारत सरकार ने प्रतिबूंद अधिक फसल और हर खेत को पानी घटकों के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आरंभ की है, जो पंजाब और हरियाणा राज्यों सहित पूरे देश में सटीक/सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर मुख्य रूप से केन्द्रित है।

जल शक्ति मंत्रालय, कम जल वाली फसलों के प्रति जागरूकता सृजन और जल के उचित उपयोग हेतु जल उपयोग दक्षता उपाय जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाने के लिए निरंतर मीडिया केम्पेन के माध्यम से किसानों तक भी पहुंच बना रहा है।

*****